न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

वनाराम चौधरी पुत्र श्री देवाराम चौधरी, निवासी-विकास नगर, माउन्ट आबू, जिला-सिरोही (मालिक एवं खाद्य काराबारकर्ता)

फर्मः- चन्द्रविलास रेस्टोरेन्ट, सब्जी मण्डी, माउन्ट आबू, तह. आबूरोड, जिला- सिरोही

प्रकरण संख्याः 07/2019

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. प्रतिवादी अभियुक्त वनाराम

-: निर्णय :- **दिनांक 20 जून, 2019**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 03.11.2018 को समय 11.00 ए.एम. पर फर्म चन्द्रविलास रेस्टोरेन्ट, सब्जी मण्डी, माउन्ट आबू, तहसील- आबूरोड, जिला- सिरोही पर पँहुचा। रेस्टोरेन्ट पर विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति वनाराम चौधरी पुत्र श्री देवाराम चौधरी, निवासी- विकास नगर, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही है एवं फर्म चन्द्रविलास रेस्टोरेन्ट, सब्जी मण्डी, माउन्ट आबू, तहसील- आबूरोड, जिला- सिरोही पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता के उपयोग हेतु प्रोपराइटरी फूड बर्फी मिठाई बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु बिक्री किये जाने वाले प्रोपराइटरी फूड बर्फी मिठाई के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर कर दुकान के काउन्टर के रैक में मौजूद प्रोपराइटरी फूड बर्फी मिठाई लगभग 5 किलोग्राम को अच्छी तरह हिला मिलाकर एक रुप किया व इस एक रुप किये हुए प्रोपराइटरी फूड बर्फी मिठाई में से 2 किलोग्राम प्रोपराइटरी फूड बर्फी मिठाई को एक साफ सूखे खाली भिगोने में खरीदा एवं प्रोपराइटरी फूड बर्फी मिठाई की कीमत रुपये 480/- अदा की तथा खरीद रसीद प्राप्त की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया। खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद व फार्म संख्या 5ए न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। तत्पश्चात्

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान व खाद्यकारोबारकर्ता को चार साफ सूखे व खाली प्लास्टिक के जार दिखाये व लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक, दिनांक स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फिर चारों नमूना जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा प्रोपराइटरी फूड बर्फी मिठाई को चारों साफ सूखे व खाली प्लास्टिक जारों में बराबर-बराबर भरा तथा प्रत्येक जार में 40-40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर जारो को कॉर्क से एयर टाईट बन्द किया। चारो नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-860 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये और चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोंबारकर्ता वनाराम ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियों तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा तथा फार्म संख्या 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग आउटर कवर में बंद कर गोंद से चिपकाई। नमूनें के चारो भागों एवं लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 05.11.2018 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबूलाल मीणा, वार्ड बॉय, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 03.11.2018 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 का सील बन्द ल्फिाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से प्रोपराइटरी फूड बर्फी मिठाई की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता वनाराम से जांच हेतु क्रय किया गया प्रोपराइटरी फूड बर्फी मिठाई का नमूना S-860 अमानक स्तर (Sub-standard) पाया गया। जांच रिपोर्ट की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता वनाराम को भी भेजकर सूचित किया कि जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप 8 में पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

....पेज तीन पर

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अधिकारी, सिरोही) को प्रस्तुत करे, लेकिन वनाराम ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नही किया। प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात एवं अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां अभियोजन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को पेश कर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। अभियुक्त द्वारा अमानक (Sub-standard) प्रोपराइटरी फूड बर्फी मिठाई का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्त को नोटिस की विधिवत तामिल कराई गई। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 09.6.2019 को प्रतिवादी वनाराम उपस्थित हुआ। प्रतिवादी ने लिखित जवाब पेश कर अनुरोध किया कि दिनांक 03.11.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा बर्फी का सेम्पल जांच हेतु लिया था जो अमानक पाया गया है। बर्फी मैंनें अपने आप तैयार की थी उसमें अलग से कुछ भी नही मिलाया था। सिर्फ दूध एवं चीनी ही थी, शायद दूध में कुछ कारण रहा होगा। मै दूध बाजार से लेता हूँ। मै एक छोटा दुकानदार हूँ। यह मेरी पहली गलती है, भविष्य में ईस तरह की गलती नही करुंगा। कृपया कम से कम जुर्माना करते हुए प्रकरण को समाप्त करावे।

(3) प्रकरण में प्रतिवादी अभियुक्त वनाराम द्वारा अपनी गलती स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 09.6.2019 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी अभियुक्त की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान अनुरोध किया कि प्रतिवादी ने अमानक स्तर का प्रोपराइटरी फूड बर्फी मिठाई का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्मने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी अभियुक्त वनाराम ने यह अनुरोध किया कि बर्फी उसने दूध व चीनी से तैयार की थी। बर्फी स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नही पाई गई है। बर्फी में मिल्क फेट की मात्रा 0.81 ही अधिक पाई गई है और अन्य कोई कमी नही पाई गई है। मेरा व्यापार छोटा है व मै दूध बाहर से क्रय कर बर्फी बनाता हूँ। यह मेरी पहली गलती है। अतः कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्याय निर्णयन आवेदन तथा न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.11.2018 को समय 11.00 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म चन्द्रविलास रेस्टोरेन्ट, सब्जी मण्डी, माउन्ट आबू, तहसील- आबूरोड़, जिला- सिरोही पर गये। उक्त रेस्टोरेन्ट में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से वनाराम चौधरी पुत्र श्री देवाराम चौधरी, निवासी- विकास नगर, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जन के उपयोग हेतु प्रोपराइटरी फूड बर्फी मिठाई का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त रेस्टोरेन्ट के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु बिक्री किये जाने वाले प्रोपराइटरी फूड बर्फी मिठाई के अमानक स्तर का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं

....पेज चार पर

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री मुकुल अग्रवाल पुत्र श्री बाबुलाल अग्रवाल, निवासी– सब्जी मंडी, मेन मार्केट, माउन्ट आबू व श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता वनाराम को प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त रेस्टोरेन्ट/दुकान के काउन्टर की रैक में स्टील की ट्रे में बिक्री हेतु मौजूद प्रोपराइटरी फूड बर्फी मिठाई लगभग 5 किलोग्राम को हिला मिलाकर एक रुप किया व इस एक रुप किये गये प्रोपराइटरी फूड बर्फी मिठाई में से 2 किलोग्राम प्रोपराइटरी फूड बर्फी मिठाई को एक साफ सूखे खाली भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 480/– (अक्षरे रुपये चार सौ अस्सी मात्र) विक्रेता वनाराम को नकद अदा कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए व नमूना खरीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता वनाराम एवं उक्त गवाहों तथा आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखे व खाली प्लास्टिक के जार दिखाकर गवाहों एवं खाद्य कारोबारकर्ता वनाराम के समक्ष उक्त खरीद शुदा प्रोपराइटरी फूड बर्फी मिठाई को चारों जारों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक नमूना जार में फार्मेलीन की 40-40 बूंदे डाली तथा चारों नमूना जारों के ढ़क्कन को एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-860, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता वनाराम एवं उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये तथा स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूनों भागों को कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-860 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता वनाराम व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता वनाराम, उक्त गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत फर्म चन्द्रविलास रेस्टोरेन्ट, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता वनाराम से प्रोपराईटरी फूड बर्फी मिठाई का नमूना जांच हेतु क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील

....पेज पांच पर

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सिल चपडी से सिल्ड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 05.11.2018 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री बाबूलाल मीणा, वार्ड बॉय, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 03.11.2018 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त प्रोपराइटरी फूड बर्फी मिठाई का नमूना संख्या S-860 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./909/Act/2018/928 दिनांक 21.12.2018 के अनुसार आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म चन्द्रविलास रेस्टोरेन्ट, सब्जी मण्डी, माउन्ट आबू में खाद्य कारोबारकर्ता वनाराम से वास्ते नमूना जांच कय किया गया प्रोपराइटरी फूड बर्फी मिठाई का नमूना अमानक (Sub-standard) होना पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि प्रतिवादी अभियुक्त वनाराम ने अमानक स्तर (Sub-standard) प्रोपराइटरी फूड बर्फी मिठाई का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त वनाराम चौधरी पुत्र श्री देवाराम चौधरी, निवासी-विकास नगर, माउन्ट आबू, तह. आबूरोड, जिला-सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म चन्द्रविलास रेस्टोरेन्ट, सब्जी मण्डी, माउन्ट आबू, तहसील- आबूरोड, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी अभियुक्त वनाराम चौधरी पुत्र श्री देवाराम चौधरी, निवासी-विकास नगर, माउन्ट आबू, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म चन्द्रविलास रेस्टोरेन्ट, सब्जी मण्डी, माउन्ट आबू, जिला-सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)